



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार - 249404

संख्या: 233 / 01 / डॉआर०(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक: 09 नवम्बर, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित A.P.I. स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गए थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान (Botany) विषय के निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने के कारण निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार मा० आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्रम सं०	ए०पी०सी० सं०	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	APC601900	517508	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत संविदा प्रवक्ता/विज़िटिंग लैक्चरर का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव पत्र में उल्लिखित महाविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य के अधीन राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
2	APC603784	517602	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद/सेमिनार/खेल-कूद आदि का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3	APC611767	517769	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में सम्बन्धित अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4	APC612249	517789	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5	APC612695	517817	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6	APC613792	517854	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत संविदा प्रवक्ता/विज़िटिंग लैक्चरर का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव पत्र में उल्लिखित महाविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य के अधीन राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
7	APC613881	517860	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
8	APC615382	517914	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत Territorial Army में न्यूनतम 02 वर्ष तक कार्यरत होने का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

क्रम सं	ए०पी०सी० सं	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4
9	APC616583	517967	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
10	APC616803	517975	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
11	APC618747	518064	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत संविदा प्रवक्ता/विज़िटिंग लैक्चरर का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में परिशिष्ट—05 संलग्न नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत <u>बोनस अंक</u> का दावा मान्य नहीं है।
12	APC620900	518164	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत संविदा प्रवक्ता/विज़िटिंग लैक्चरर का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में परिशिष्ट—05 संलग्न नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत <u>बोनस अंक</u> का दावा मान्य नहीं है।
13	APC625476	518401	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र मान्य नहीं हैं। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत संविदा प्रवक्ता/विज़िटिंग लैक्चरर का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव पत्र में उल्लिखित महाविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य के अधीन राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत <u>बोनस अंक</u> का दावा मान्य नहीं है।
14	APC627713	518530	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत संविदा प्रवक्ता/विज़िटिंग लैक्चरर का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा संलग्न अनुभव पत्र में उल्लिखित महाविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य के अधीन राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत <u>बोनस अंक</u> का दावा मान्य नहीं है।
15	APC629987	518624	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
16	APC630799	518667	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।